



Neutral Citation No. - 2026:AHC:66356

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 10868/2024

अभिमन्यु उर्फ मन्नु

..... अपीलकर्ता (गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

अपीलकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : दीपक कुमार पाल

प्रतिवादी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
2. पर्याप्त तामील के बावजूद विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
3. वर्तमान आपराधिक अपील दिनांक 29.07.2024 को विद्वान विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम, बरेली द्वारा आपराधिक वाद संख्या 1485 वर्ष 2024 (राज्य बनाम अभिमन्यु एवं मन्नु), मुकदमा अपराध संख्या 398 वर्ष 2023, धारा 452, 341, 323, 504 भा.दं.सं. तथा धारा 3(1)(धा) एवं 3(2)(वा) एस.सी./एस.टी. अधिनियम, थाना-बिथरी चैनपुर, जनपद-बरेली में पारित आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई है।
4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी द्वारा कथित घटना दिनांक 02.10.2023 को प्रातः लगभग 8:00 बजे की बताई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 05.10.2023 को तीन दिनों के विलम्ब से दर्ज कराई गई है। विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी ने स्वयं अपीलकर्ता के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि घटना दो बार घटित हुई। प्रथम घटना दिनांक 02.10.2023 को प्रातः लगभग 8:00 बजे की है, जब उसका पति भगवान दास मजदूरी के लिए जा रहा था, तभी सह-ग्रामवासी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता ने उसके सामने अपना वाहन खड़ा करके उसका रास्ता रोक दिया। उसने उसके पति के साथ मारपीट की तथा गाली-गलौज की। यह घटना का पहला भाग है। उसने आगे बताया कि इसके पश्चात उसका पति उसके घर आया। इसके बाद अपीलकर्ता भी उसके घर आया और पुनः उसके पति के साथ लात-मुक्कों से मारपीट की तथा उसके साथ भी थप्पड़, लात एवं मुक्कों से मारपीट की और गाली-गलौज करने के साथ-साथ अगली बार मारपीट करने की धमकी दी।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी द्वारा स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जो कथित घटना के तीन दिनों के पश्चात दर्ज हुई। उसने संपूर्ण घटना का वर्णन किया है तथा यह बताया है कि उक्त अपराध दो भागों में घटित हुआ। तथापि, दोनों में से किसी भी घटना के संबंध में उसने एस.सी./एस.टी. अधिनियम, 1989 के अंतर्गत किसी अपराध के किए जाने का उल्लेख नहीं किया। इसके पश्चात परिवादिनी/विपक्षी संख्या 2/माया देवी तथा उसके पति भगवान दास के बयान अभिलिखित किए गए। धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित अपने बयान में भी उसने सार्वजनिक दृष्टि में एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत किसी आरोप का उल्लेख नहीं किया। जबकि उसके स्वयं के कथन के अनुसार घटना उसके घर के भीतर घटित हुई थी और प्रथम बार विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी माया देवी तथा उसके पति भगवान दास के बयानों में जातिसूचक टिप्पणियों का उल्लेख किया गया।

6. भगवान दास के बयान के अनुसार यह तथ्य भी सामने आया है कि उक्त ग्राम में प्रधान पद के चुनाव को लेकर कुछ विवाद था।

7. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिनों के विलम्ब से दर्ज की गई। यहां तक कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उनके बयानों में भी, जिस घटना के सार्वजनिक दृष्टि में घटित होने का आरोप है, एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपराध के संबंध में कोई आरोप नहीं है। फलतः विपक्षी संख्या 2/परिवादिनी के घर के भीतर घटित होना कथित दूसरी घटना के संबंध में पहली बार एस.सी./एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत आरोप सामने आया।

8. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने एस.सी./एस.टी. अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(s) पर भरोसा किया है, जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक दृष्टि में जाति के नाम से गाली देने को परिभाषित करती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सोहनवीर उर्फ सोहनवीर धामा एवं अन्य बनाम 30प्र0 राज्य एवं अन्य; 2025 आईएनएससी 1397** के मामले में प्रतिपादित विधि पर भी भरोसा किया है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 13 में निम्नवत् प्रतिपादित किया गया है:

“13. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में त्रुटिपूर्ण था कि घटना सार्वजनिक दृष्टि में घटित हुई थी। परिवाद के सावधानीपूर्वक पठन से यह स्पष्ट होता है कि कथित जाति-आधारित गालियाँ परिसर के भीतर, अपीलकर्ताओं तथा विपक्षी संख्या 2 की उपस्थिति में दी गई थीं। अतः एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(1)(s) के अंतर्गत अपराध के लिए आवश्यक तत्व पूरा नहीं होता है।”

10. वर्तमान मामले में परिवादिनी/विपक्षी संख्या 2 द्वारा स्वयं घटना के तीन दिनों के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसने कथित घटना का दो भागों में वर्णन किया है, किन्तु दोनों में से किसी में भी एस.सी./एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी अपराध के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया है।

11. धारा 161 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित बयान में भी घटना के प्रथम चरण, जिसके खुले स्थान पर घटित होने का आरोप है, के संबंध में ऐसे किसी जातिसूचक टिप्पणी का आरोप नहीं लगाया गया है, जिससे एस.सी./एस.टी. अधिनियम की धारा 3(1)(s) के आवश्यक तत्व पूर्ण होते हों। घटना के दूसरे चरण के संबंध में परिवादिनी/विपक्षी संख्या 2 तथा उसके पति के बयानों से यह स्वीकार है कि यदि ऐसी कोई घटना घटित हुई भी हो, तो वह परिवादिनी के घर के भीतर हुई थी और उस समय केवल परिवादिनी तथा उसका पति ही घर में उपस्थित थे। अतः उक्त कथित घटना सार्वजनिक दृष्टि में घटित नहीं हुई, जबकि यह एस.सी./एस.टी. अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(s) की मूलभूत आवश्यकता है।

12. अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत, अपीलकर्ता-अभिमन्यु @ मन्नू के विरुद्ध एस.सी./एस.टी. अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(धा) एवं 3(2)(वा) के अंतर्गत पारित समन एवं संज्ञान आदेश एतद्वारा निरस्त किए जाते हैं। धारा 452, 341, 323 एवं 504 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपीलकर्ता का विचारण सक्षम विधि न्यायालय द्वारा विधि अनुसार जारी रहेगा।

13. आपराधिक अपील आंशिक रूप से **स्वीकार** की जाती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

30 मार्च, 2026

एस.एफ.ए./

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!